



महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक १८ (२)]

शुक्रवार, मे २९, २०२६/ज्येष्ठ ८, शके १९४८

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित २५ मई २०२६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. III OF 2026.

AN ORDINANCE

TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE COMMISSION FOR
SCHEDULED CASTES ACT, 2025.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ३ सन् २०२६।

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, २०२५ में संशोधन करने
संबंधि अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

(१)

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, सन् २०२५ का महा. ३७। २०२५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण । १. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग(संशोधन) अध्यादेश, २०२६ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् २०२५ का महा. ३७ की धारा २ में संशोधन। २. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, २०२५(जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की, धारा २ के खण्ड (ख) में “अध्यक्ष” शब्द के पश्चात्, “उपाध्यक्ष” शब्द निविष्ट किया जाएगा। सन् २०२५ का महा. ३७।

सन् २०२५ का महा. ३७ की धारा ३ में संशोधन। ३. मूल अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा (२) के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा अर्थात् :-

“(क-१) उपाध्यक्ष, जिसे सदस्यों में से नामनिर्देशित किया जाएगा ;”।

वक्तव्य

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, २०२५ (सन् २०२५ का महा. ३७) यह महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों के हितों का संरक्षण और रक्षा करने तथा उनके कल्याण और विकास करने के लिए सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने की दृष्टि से, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने के लिए उपबंध करने तथा तत्संबंधित या उससे आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया है।

२. उक्त अधिनियम की धारा ३, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने के लिए उपबंध करती है, जो अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रीय आयोग के गठन के समान राज्य आयोग पर उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना भी ईष्टकर समझती है।

३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, २०२५ में संशोधन करने के लिए, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित हुआ है।

मुंबई,
दिनांकित २२ मई २०२६।

जिष्णु देव वर्मा,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

डॉ. हर्षदीप कांबळे,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।